(aa) The total world exports of unmanu-

6298. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the principle of majority decision would prevail in the World Trade Organisation authority;

(b) whether it is a fact that a country holding WTO membership would have the right to stall or veto the discussion on extraneous issues like environment, labour or social rights;

(c) whether the decision in WTO would be taken by 2|3 majority or any other for mula has been worked out.

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c) Each member of the World Trade Organisation will have one vote.

The following decision can only be made by consensus:

(i) Amendments to the Most Favoured Nation articles of GATT, GATS and TRIPs;

(ii) Amendments to the articles concerning decision making and amendments in the WTO Agreement;

(iii) Amendments to the Dispute Settlement Understanding;

(iv) Grant of waivers in respect of any obligation subject to a transition period or a period for staged implementation; and

(v) Decision under the Dispute Settlement Understanding. In respect of all other decisions it has been provided that the practice of decision making by consensus shall continue, but if a consensus is not possible, then a 3|4 majority will be needed to adopt an interpretation or for waiving an obligation and a 2|3 majority for others.

All decisions in the Preparatory Committee of the WTO are to be by consensus.

Royalty charges for product patent under WTO Authority

6299. SHRI MOHD. MASUD KHAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether royalty charges for product patents under World Trade Organisation authority would be uniform for pre and post patented products or uneven royalty would be fixed by patent holder;

(b) who will fix up the royalty charges under World Trade Organisation authority; and

(c) whether World Trade Organisation member countries would have arbitrary powers to withhold licence of patents and fix the prices according to fixed norms?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) The WTO Agreement does not address the question of fixation of royalty.

(c) No, Sir.

Restrictions on Plant varieties protected under Law

6300. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the answer to Starred Question 310 given in the Rajya Sabha on 18th April, 1994 and state:

(a) the elaboration of "There will be restrictions on the use of only those plant varieties which are protected under the law";

(b) please explain the reference to the law;

(c) which country's laws would restrict the use of only those plant varieties protected under the law;

(d) which are the plant varieties going to be protected under law; and

(e) which are the plant varieties left out of the law protection?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (e) Provisions of the Uruguay Round Agreements do not apply directly but are to be given effect to through national legislation by the member-states. Legislation is being drafted which will incorporate the scope of coverage and the rights of the farmers, researchers and plant breeders.

"गैट" समझौते में विश्व पेटेंट कानून

6301. **श्री अनन्त राम जायसवाल :**

श्रीमती सरला माहेश्वरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गैट" समझौते में विहित भौतिक सम्पदा अधिकारों (पेटेन्ट, व्यापार चिन्ह, प्रतिलिप्याधिकार आदि) के संबंध में विश्व पेटेन्ट कानून की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है तथा यह किन-किन मुद्दों पर वर्तमान भारतीय पेटन्ट कानून से भिन्न है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारतीय कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों पर "गैट" पेटेन्ट कानूनों का अलग-अलग क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि "गैट" वार्ताओं में विश्व पेटेन्ट कानून के प्रारूप तथा इसके उपबन्धों को शामिल किये जाने के प्रति भी भारत शुरू से ही आपत्ति प्रकट करता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ख) ट्रिप्स करार में अन्य बातों के साथ-साथ पेटेन्ट भी कवर होते हैं और यह भारतीय पेटेंट अधिनियम से मुख्यतया जिन मामलों में भिन्न होते हैं : पेटेंटिंग के कार्य क्षेत्र प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्र उत्पाद पेटेंट के अंतर्गत आते हैं) : पेटेंट की अवधि (20 वर्ष) तथा अनिवार्य लाइसेंसिंग (अधिकार के आटोमेटिक लाइसेंस इसमें शामिल नहीं हैं और अनिवार्य लाइसेंसों को प्रदान करने में शर्तें लगी हैं) पौध किस्मों को पेटेंट कराने की आवश्यकता नहीं है परन्तु इन्हें स्वतः अद्वितीय प्रणाली के जरिए संरक्षित किया जा सकता है। इसके कृषि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। उद्योग का केवल वही भाग प्रभावित होगा जो अन्यत्र पंजीकृत पेटेंटों पर आधारित रिवर्स इंजीनियरी उत्पादों पर निर्भर है, परन्तु इस भाग को भी संक्रमण अवधि में सुरक्षा-व्यवस्था या कुशन प्रदान किया जाएगा।

भारत ने ट्रिप्स करार की वार्ता में सक्रिय भाग लिया और ऐसा करने में भारत का उद्देश्य यह था कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार धारक के अधिकारों तथा लोकहित के सरोकारों के बीच संतुलन प्राप्त किया जाए।

"गैट" समझौते में अन्तर्विष्ट उदारीकरण, सीमाशल्क, विदेशी पूंजी संबंधी उपबंधों का क्रियान्वयन

6302. **श्री अनन्त राम जायसवाल:**

श्रीमती सरला माहेश्वरी:

श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "गैट" समझौते में अंतर्विष्ट उदारीकरण, सीमाशुल्क, विदेशी पूंजी निवश उपायों तथा सेवा व्यापार से संबंधित प्रावधानों का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त क्रियान्वयन को आरम्भ करने के संबंध में संयुक्त-राज्य अमरीका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के साथ पूर्व मंत्रणा की गई थी; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;